

DCP/SW
Addl. DCP-WSW
Addl. DCP-WSW
Branch RTI
No. 29289
Dr. 9817117
Insp./Admn. 0

सेवा में

श्रीमान डी.सी.पी. साहव
दक्षिण-पश्चिम जिला
सेक्टर-19, झारका, नई दिल्ली

विषय- R.T.I. Act-2005 के कानून के तहत निम्नलिखित सूचना
अवगत करने हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय,

शुक्तिय निवेदन यह है कि प्रार्थी ने दिनांक -
10/2/2017 को Case G.R. No 62/17 पीस 279/337 IPC P.S Dwaraka
South, New Delhi के बारे में इ.0/न.5.1 शैलेन्द्र एच. के खिलाफ
आरोपित व्हीकल के दोषी चालक/मालिक से मिलीभगत व सांठ-
गांठ करने तथा रिश्ता खाकर मामले को इफा-दफा करने
के बारे में एक लिखित शिकायत आपको आपके कार्यालय में
दी थी जिसकी ध्वि प्रतिलिपी साथ संलग्न है अतः प्रार्थी
को R.T.I. Act-2005 के कानून के तहत निम्नलिखित सूचना
व जानकारी उपलब्ध करवाने की कृपा करे।

① यह है कि दिनांक 23/1/2017 को Accident की घटना वारदात
के बारे में प्रार्थी की P.C.R. Call पर इजि ड.ड. No-26 P.P.
सेक्टर-1 झारका नई दिल्ली की ध्वि प्रतिलिपी R.T.I. Act-
2005 के कानून की द्वारा अनर्वात के तहत प्रार्थी को उपलब्ध
करवाने की कृपा करे।

②A-I
Kavya
23/7/17

② बताया जाये कि इस मुकदमे में इ.0 ने दोषी मालिक/चालक
को कौन सी तारीख में गिरफ्तार करके Bail पर रिहा
किया था

③ बताया जाये कि इस मुकदमे में इ.0 ने दोषी मालिक/चालक
को Investigation में शामिल होने के लिए पीस 133 M.V. Act
के कानून के तहत कौन सी तारीख को नोटिस दिया था

④ बताया जाये कि इस मुकदमे में इ.0 ने आरोपित व्हीकल
M/Cycle No- DL-65-Z-8454 को कौन सी तारीख में थाने
के मालखाने में जमा कराया था

⑤ बताया जाये कि इस मुकदमे में आरोपित व्हीकल M/Cycle
No- DL-65-Z-8454 थाने के मालखाने में जमा है या -

फिर I.O ने Court order पर सुपरवरी पर छोड़ दी।

- ⑥ बताया जाये कि इस मुकदमे में आरोपित व्हीकल M/Cycle No-DL-65-2-8454 कौन सी लारीख को Court order पर खाने के मालखाना इन्चार्ज /S.H.O साहब ने सुपरवरी पर छोड़ी थी
- ⑦ बताया जाये कि इस मुकदमे की FIR No 62/17 U/s 279/337 IPC P.S. Dwarka South, New Delhi में I.O शैलेंद्र ने आरोपित व्हीकल M/Cycle No DL-65-2-8454 का कौन सी लारीख में कानुनी तौर Inspecton कराया था
- ⑧ बताया जाये कि इस मुकदमे में धटना वारदात के समय - आरोपित व्हीकल M/Cycle No DL-65-2-8454 की वैध Insurance थी या नहीं।
- ⑨ बताया जाये कि धटना वारदात के समय अगर आरोपित व्हीकल की वैध Insurance नहीं थी तो इस मुकदमे में आरोपित व्हीकल M/Cycle No DL-65-2-8454 के दोषी मालिक के विरुद्ध without Insurance की बाबत I.O/S.H.O साहब के द्वारा कानुनी कार्यवाही अमल में लरि गरि।
- ⑩ बताया जाये कि इस मुकदमे में आरोपित व्हीकल M/Cycle No-DL-65-2-8454 के दोषी मालिक के विरुद्ध without Insurance की बाबत I.O/S.H.O साहब ने U/s 146/146 M.V. Act etc. के तहत कानुनी कार्यवाही की या नहीं।
- ⑪ बताया जाये कि इस मुकदमे में शामिल आरोपित व्हीकल M/Cycle No DL-65-2-8454 के दोषी मालिक/चालक का नाम- पता क्या है
- ⑫ बताया जाये कि इस मुकदमे में I.O ने आरोपित व्हीकल M/Cycle No DL-65-2-8454 के मालिक से धटना वारदात के समय ^{मौका से} Accident करके भागे दोषी चालक का पता लगाने के बारे में कानुनी तौर पर ^{owner का} ध्यान हासिल किया था या नहीं।

(3)

- (13) बताया जाये कि इस मुकदमे में शिकायतकर्ता/प्राथी ने अपने बयानों में I.O/A.S.I शैलेन्द्र को मौके वारदात से Accident करके भागे - आरोपित व्हीकल M/cycle No-DL-65-Z-8454 के दोषी चालक/मालिक की पहचान या फिर नाम-पता व उसके मोबाइल फोन नम्बर के बारे में बताया था।
- (14) बताया जाये कि इस मुकदमे में I.O/A.S.I शैलेन्द्र ने धटना वारदात के समय मौके से भागे आरोपित व्हीकल के दोषी चालक/मालिक की पहचान व उसके मोबाइल नम्बर व उसकी लोकेशन को क्यों और किस उपाय के बयानों के आधार पर कानूनी तौर पर सही माना कि दोषी चालक/मालिक के पास दूसरा और कोई मोबाइल फोन नम्बर नहीं है।
- (15) बताया जाये कि इस मुकदमे में I.O/A.S.I शैलेन्द्र ने धटना वारदात के समय मौके से भागे आरोपित व्हीकल के दोषी चालक/मालिक के मोबाइल फोन नम्बर की C.D.R व लोकेशन निकलवाने के अलावा क्या दोषी चालक/मालिक व उसकी Family व धर के अन्य सदस्यों के पास और कितने मोबाइल फोन नम्बर जो आज भी धर हैं का कानूनी तौर पता लगाकर उन सभी फोनो की C.D.R व लोकेशन निकलवाई है या नहीं।
- (16) बताया जाये कि इस मुकदमे में I.O/A.S.I शैलेन्द्र को आरोपित व्हीकल के दोषी चालक/मालिक ने ऐसा कोई ठोस सबूत या फिर रिकार्ड पेश करने कानूनी तौर पर दिया है जिससे यह साबित हो सके कि दोषी चालक/मालिक या उसकी Family के बीच में शिकायतकर्ता/प्राथी के साथ इस धटना वारदात के समय या उससे पहले कोई पुरानी दुश्मनी व शकियत बनी थी या फिर Court में कोई Case Pending कोई हो जिससे साबित हो सके कि यह मामला जानबूझकर गलत दर्ज कराया गया है।
- (17) बताया जाये कि प्राथी के बयानों पर दर्ज Case FIR No 62/17 पंज 279/-337 IRL धाना Bawarwa South, New Delhi के मुकदमे का status क्या है।
- (18) बताया जाये कि इस मुकदमे में शिकायतकर्ता/प्राथी धटना वारदात वाले दिन से लेकर आज तक कितनी बार पुलिस चौकी सेक्टर-1, डारका नई दिल्ली में आकर I.O/A.S.I शैलेन्द्र से मिला और Case की Investigation में शामिल हुआ लेकिन I.O/A.S.I शैलेन्द्र की ज्यादातियों व धमकियों की वजह से शिकायतकर्ता ने I.O के खिलाफ इस दौरान कितनी बार PCR Call करी जिसकी सूचना पुलिस चौकी सेक्टर-1, डारका/धाना Bawarwa South, Delhi के रोजनामचे में भी दर्ज है।

- (19) बताया जाये कि इस मुकदमे में शिकायतकर्ता/पार्थी ने I.O/ASD शैलेन्द्र के खिलाफ इसकी ज्यादातयो व धमकियो की वजह से DCP/South-west Distt. Delhi व C.P. Office, Delhi के कार्यालय में धरना वारदात वाले दिन से लेकर 30/6/2017 तक कितनी लिखित शिकायते कार्रवाही हेतु दी थी और इन सभी शिकायतो पर विभाग द्वारा क्या कानुनी कार्रवाही की गई जानकारी दे ।
- (20) बताया जाये कि इस मुकदमे में I.O/ASD शैलेन्द्र ने शिकायतकर्ता/पार्थी को कितनी बार Court की Investigation में शामिल होने के लिए कानुनी तौर पर 1/5/60 Cr.P.C का नोटिस सर्व कराया है
- (21) बताया जाये कि इस मुकदमे में I.O/ASD शैलेन्द्र के कहने पर शिकायतकर्ता/पार्थी ने साथ जाकर Accident मौका वारदात वाली जगह I.O को दिखाई थी या नही ।
- (22) बताया जाये कि इस मुकदमे में Accident मौका वारदात वाली जगह दिखाने के बाद I.O/ASD शैलेन्द्र ने शिकायतकर्ता/पार्थी को बिना वजह धमकाया था जिस पर पार्थी ने अपने मो.फोन से P.C.R को मौका वारदात वाली जगह से I.O/ASD शैलेन्द्र के खिलाफ इसकी ज्यादातयो व धमकाने के बारे में सूचना देकर अवगत कराया था जिसकी सूचना पुलिस लौकी सेक्टर - 1 अरका/थाना अरका साक्षर, नई दिल्ली के योजनामत्रे में भी दर्ज है यह बात सही है ना ।
- (23) बताया जाये कि I.O/ASD शैलेन्द्र/S.H.O साख ने पार्थी के इस Accident के मुकदमे का खालान अभी तक सभी दिशा-निर्देशों की अपेक्षना करते हुए जानबुझकर Concerned M.M, Delhi व M.A.C.T की Court में नही भेजा या फिर कोई अन्य वजह है जिसकी वजह से Court में खालान दाखिल करने में देरी हो रही है

नोट - इस पार्थना पत्र के साथ R.T.I Act-2005 के कानून के अन्तर्गत मुक्क के रूप में 10 रुपये का I.P.O No 32F-282923 साथ संलग्न है

दिवांक

पार्थी
 محمد شمس الدين

(मौ. लनवीर)

श्री अब्दुल कयुस

R/O M.No- B/246-47 जं. जं.

फालोनी, हस्तशाल, उत्तमनगर

नई दिल्ली - 59

फोन नं. 7503566542